न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी— उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 21 / 2018
तारीख दायरः 15.03.2018

उनवान

1. नाराण पिता किशना जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
2. भंवरलाल पिता रामसिंह जाति राव निवासी साण्डतहसील माण्डलगढ़।
3. छोटूलाल पिता रामसिंह जाति राव निवासी साण्डतहसील माण्डलगढ़।
4. मनोहर सिंह पिता अमर सिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
5. मीरा पुत्री अमर सिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
6. सुशीला पुत्री अमर सिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
7. सूरज कंवर बेवा अमर सिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
8. रूपा पिता लक्ष्मण सिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
9. भोलू पिता लक्ष्मण सिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
10. सज्जनसिंह पिता भैरूसिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
11. माधू सिंह पिता भैरूसिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
12. गोपाल सिंह पिता भैरूसिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
13. भांकरसिंह पिता भैरूसिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
14. समदा पुत्री भैरूसिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
15. नानीबाई बेवा भैरूसिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. पप्पू सिंह पिता मांगीलाल जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
2. बालू सिंह पिता गोपी सिंह जाति राव निवासी साण्ड तहसील माण्डलगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरियेतहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्रीदेवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—: निर्णय :—

दिनांकः 07.09.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम साण्ड पटवार हल्का मुकनपुरिया तहसील माण्डलगढ़ में प्रार्थीगण के आहता चाह नम्बर 232 पर पहुँचने हेतु पेदल सजबेल,ट्रेक्टर से आने जाने का रास्ता प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 187, से होकर आराजी नम्बर 190 जो कि प्रार्थीगण की स्वयं की कृषि भूमि है उसमें से होकर आराजी नम्बर 227 की पूर्वी मेर पर होकर पूर्वी एवं दक्षिणी मेर के सहारे होकर आराजी नम्बर 27 की भी दक्षिणी मेर पर होकर आराजी नम्बर 229 के बीचो बीच होकर आराजी नम्बर 230 जो कि प्रार्थीगण की भूमि है जिसमें पहुँचता है। विपक्षी खातेदार द्वारा आराजी नम्बर 226, 227, 229 पर होकर जाने वाले रास्ते को बन्द क[illegible]गण अपनी भूमि पर पेदल सजबेल एवं अन्य कृषि उपकरण नही ले जा पा रहे [illegible] न ही अपनी कृषि भूमि की सार संम्भाल कर पा रहे है। वर्तमान में [illegible] 15—20 फीट चोड़ा रास्ता है जिसको विपक्षीगण द्वारा बन्द कर दिया है। [illegible] अलावा अन्य कोई [illegible] मौके पर उपलब्ध नही है। परन्तु विपक्षीगण खातेदार ने उक्त रा[illegible] को बन्द कर दिया। [illegible] उक्त रास्ते पीढी दर पीढी प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता मोके पर नही है। तथा न ही राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज है। उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि पर से प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु 15 से 20 फीट रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.22 15:18:28 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि पर जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ते को अवरूद्ध करने के उद्देश्य से दिनांक 18.12.2017 को रास्ते को अवरूद्ध कर दिया व प्रार्थीगण को निकलने के लिये मना कर दिया जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में पहुँचने से महरूम हो रहा है। एवं फसल की देख रेख नही कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है अगर न्यायालय उचित समझे तो प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी नम्बर 226,227 व 229 मे से 15–20 फीट का रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर का रास्ता जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण बरसो से करते चले आ रहे है। उसको राजस्व रेकॉर्ड एवं नक्शे में अंकित कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

दिनांक 09.04.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता देवेन्द्र पोरवाल ने अधिकार पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 26.06.2018 को उक्त प्रकरण में तहसील माण्डलगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो यह है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 232 आहता का चाह पर पहुँचने हेतु रास्ता चाहते है। उक्त आराजी में पहुंचने हेतु राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थी की आराजी नम्बर 232 पर पहुँचने हेतु अपनी स्वयं की आराजी नम्बर 190 मे से होते हुए आराजी नम्बर 189 में होते हुए आराजी नम्बर 227 व 226 के दक्षिणी दिशा में होते हुए आराजी नम्बर 229 में होते हुए अपनी आराजी नम्बर 231 में होते हुए अपनी आहता का चाह 232 में पहुँचता है। यह है कि आराजी नम्बर 189 व 229 पप्पू सिंह पिता मांगीलाल राव आराजी नम्बर 226 व 227 बालू सिंह पिता गोपी सिंह राव के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है। यह है कि प्रार्थीगणो को चाहा गया 15 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने पर आराजी नम्बर 189 में 03 बिस्वा आराजी नम्बर 226 में 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 227 में 01 बिस्वा व आराजी नम्बर 229 में 02 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आती है। यह कि चाहा गया रास्ता देने पर प्रतिवादी पप्पूसिंह की 05 बिस्वा भूमि व बालूसिंह की 02 बिस्वा भूमि रास्ते में उपयोग में आती है। जिसकी डी.एल.सी. दर 69696/–से मानी क्रमशः 17424 रूपये पप्पूसिंह की भूमि व 6970 रूपये बालुसिंह की भूमि की बनती है।

दिनांक 28.01.2019 को विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। यह है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपनी आराजी संख्या 232 पर पहुँचने हेतु विपक्षी संख्या 1 की ग्राम साण्ड पटवार हल्का मुकनपुरिया में स्थित आराजी नम्बर 229 के बीचो बीच 15–20 फीट चौड़े रास्ते की घोषणा का अनुतोष चाहा है जिसके जवाब में निवेदन है कि विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 229 के बीचो बीच पूर्व में कोई 15–20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी पर जाने हेतु मौजूद नही रहा है। एवं न ही किसी खातेदार की भूमि के बीचो बीच रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। सही तथ्य यह है कि विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 229 की पश्चिमी मेड पर खेत खाली हो जाने पर आपसी सहमति से विपक्षी संख्या 1 अपनी कृषि भूमि आराजी नम्बर 231 पर पहुँचता था और आराजी नम्बर 231 विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है तथा आराजी नम्बर 231 में और आराजी नम्बर 232 एक दूसरे से जुड़ी हुई भूमि है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 की जमीन के दो टूकड़े करना चाहते है। इसलिए बदनियतिपूर्वक विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 229 के बीचो बीच रास्ता निकालना चाहते है, जो न्यायोचित नही होने से प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण चलने योग्य न होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दिनांक 21.10.2019 को विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता देवेन्द्र पोरवाल ने अधिकार पत्र पेश किया। जिसे शामिल प[illegible] किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.22 15:18:28 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 12.12.2019 को तहसील[illegible] से मौका रिपोर्ट पेश हुई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण [illegible] नम्बर 232 पर पहुँचने हेतु रास्ता चाहते है। उक्त आराजी में पहुँचने हेतु राजस्व रेकॉ[illegible] में सरकारी रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थी की आराजी नम्बर 232 पर पहुँचने हेतु अपनी स्वयं की आराजी नम्बर 190 मे से होते हुए आराजी नम्बर 189 में होते हुए आराजी नम्बर 228 में होते हुए अपनी आराजी नम्बर 232 में पहुँचता है। यह है कि आराजी नम्बर 189 व 228 पप्पूसिंह पिता मांगीलाल राव के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है। यह है कि वादीगण को चाहा गया 15 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने पर

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

आराजी नम्बर 189 में से 04 बिस्वा व आराजी नम्बर 228 में से 01 बिस्वा कुल 05 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आती है। यह है कि चाहा गया रास्ता देने पर प्रतिवादी पप्पू सिंह की 05 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आती है। जिसकी डी.एल.सी. दर 76666 रूपये से मालीयत 19167 रूपये बनती है। दूगुनी दर 38334 है।

दिनांक 07.09.2020 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित।हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया और पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति निम्न प्रकार पायी गई कि ग्राम साण्ड पटवारी हल्का मुकनपुरिया तहसील माण्डलगढ़ की आराजी नम्बर 232 पर पहुॅचने हेतु अपनी स्वयं की आराजी नम्बर 190 मे से होते हुए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 189 व228 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में सहमति प्रदान की गयी है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए(क) के अन्तर्गत प्रदत्त भाक्तियो का प्रयोग करते हुए एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1)(II)(a) के अनुसरण में ग्राम साण्ड पटवार हल्का मुकनपुरिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी के आराजी संख्या 232 पर पहुंचने के लिये स्वयः के आराजी संख्या 190 में से होकर विपक्षी संख्या 1 पप्पूसिंह पिता मांगीलाल राव के आराजी संख्या 189 रकबा 6.03 बीघा में से 04 बिस्वा व आराजी संख्या 228 रकबा 0.12 बीघा में से 01 बिस्वा कुल 05 बिस्वा भूमि (15 फीट चौड़ाई में) रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 76666 रूपये प्रति बीघा से 19167 रूपये बनती है। दुगुनी दर 38334 रूपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किए जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 07.09.2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.22 15:18:28 IST
Reason: SelfAttested